भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5303
उत्तर दिनांक 25/03/2026 को दिया गया

परमाणु क्षेत्र में निजी प्रचालकों के लिए विनियमन

5303. श्री विजय कुमार दूबे

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) अब परमाणु संयंत्रों को प्रचालित करने की अनुमति प्राप्त निजी कंपनियों को विनियमित करने की सरकार की क्या योजना है और इन साझेदारियों के लिए क्या सुरक्षा नवाचार स्थापित किए गए हैं;

(ख) अन्य प्रचालक दायित्व मॉडल को अपनाने के क्या कारण हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिसमयों के साथ किस प्रकार संरेखित है; और

(ग) क्या सरकार को इस अधिनियम के पारित होने के बाद आबद्ध परमाणु विद्युत इकाइयों की स्थापना के लिए घरेलू निजी फर्मों से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) शांति अधिनियम, 2025 नाभिकीय विद्युत उत्पादन और अन्य गैर-विद्युत अनुप्रयोगों के लिए नाभिकीय ऊर्जा और आयनकारी विकिरण को बढ़ावा देने और विकास के लिए तथा इसके संरक्षित और सुरक्षित उपयोग के लिए अधिनियमित किया गया है। शांति अधिनियम निजी क्षेत्र को नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत निजी संस्थाएं नाभिकीय सुविधा की स्थापना कर सकती हैं अथवा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग तथा निपटान से संबंधित गतिविधियां संचालित कर सकती हैं। यह समस्त गतिविधियां केंद्र सरकार से प्राप्त लाइसेंस तथा परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद से प्राप्त संरक्षा प्राधिकरण के अधीन होंगी, जिनकी शर्तें इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं कि सरकार एवं संरक्षा नियामक का प्रभावी नियंत्रण एवं विनियमन सुनिश्चित किया जा सके।

शांति अधिनियम, 2025 के तहत नियमों और विनियमों को निर्धारित करने का कार्य प्रगतिशील है और इसमें एनपीपी के प्रचालन के प्रभावी विनियमन और अनुपालन किए जाने वाले संरक्षा प्रोटोकॉल हेतु कार्यान्वयन के प्रावधान होंगे।

(ख) नाभिकीय क्षति के लिए दायित्व, दोष-रहित दायित्व और तत्काल क्षतिपूर्ति पर आधारित है। शांति अधिनियम भारत की नाभिकीय दायित्व व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय दायित्व व्यवस्था के अनुरूप बनाता है। नाभिकीय क्षति के लिए प्रचालक के दायित्व को नाभिकीय संस्थापना के प्रकार के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह अधिनियम भारत के विकास में नाभिकीय ऊर्जा को एक प्रमुख आधार के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

(ग) शांति अधिनियम, 2025 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है और विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा इसे दिनांक 21 दिसंबर, 2025 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। तथापि, वर्तमान में अधिनियम के नियमों और विनियमों को निर्धारित करने का कार्य प्रगतिशील है। इसलिए, शांति अधिनियम के नियमों और विनियमों को निर्धारित करने का कार्य पूर्ण होने के बाद ही नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र उद्यमियों की भागीदारी प्रभावी होगी।

*****